

हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

षष्ठम् सत्र

शुक्रवार, 6 सितम्बर, 2024/15 भाद्रपद, 1946(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित :

दिन के लिए



पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे।

(2) अतारांकित :

दिन के लिए



पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

2. कागजात सभा पटल पर रखें जाएंगे:

(1) श्री मुकेश अग्निहोत्री, उप मुख्यमंत्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

- (i) हिमाचल प्रदेश मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 138 के साथ पठित धारा 212 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मोटर यान (संशोधन) नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या: टी.पी.टी.-ए(3)-8/2003, दिनांक 01.08.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.08.2024 को प्रकाशित; और
- (ii) नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (ए) एवं आर0टी0डी0सी0 के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की धारा 61 के अन्तर्गत रोपवेज एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एच.पी. लिमिटेड (आर0टी0डी0सी0) का वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 (विलम्ब के कारणों सहित)।

(2) श्री चन्द्र कुमार, कृषि मन्त्री, हिमाचल प्रदेश राज्य पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की धारा 62 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश स्टेट वेटनरी कांऊंसिल के वार्षिक लेखें तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित), की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

- (3) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला/नॉन-मेडिकल/मेडिकल), ग्रुप-सी (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2024 जोकि अधिसूचना संख्या: ई0डी0एन0-सी-ए(3)-2/2020-II, दिनांक 06.06.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 11.06.2024 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।
- (4) श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-
- (i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, नायब तहसीलदार, ग्रुप-बी, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या: पी0डब्ल्यू0डी0(सी)ए(3)-2/2021, दिनांक 29.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 04.03.2024 को प्रकाशित; और
- (ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, कानूनगो, ग्रुप-सी, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2023 जोकि अधिसूचना संख्या: पी0डब्ल्यू0डी0(सी)ए(3)-1/2021, दिनांक 29.02.2024 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.03.2024 को प्रकाशित।

3. सदन की समिति के प्रतिवेदन:

श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2024-25), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे:-

- (i) समिति के 193वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) पर बने 255वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित है;
- (ii) समिति के 194वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) पर बने 34वें कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित है;
- (iii) समिति के 195वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) पर बने 35वें कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित है; और

- (iv) समिति के 197वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) पर बने 37वें कार्रवाई प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत्त अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण पर आधारित तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित है।

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

- (1) श्री रणधीर शर्मा, “श्री नैना देवी जी निर्वाचन क्षेत्र में बढ़ रही बिजली की समस्या पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।”
- (2) श्री राकेश जम्वाल, “BBMB द्वारा निर्मित/संचालित BSL सुन्दरनगर जल विद्युत परियोजना से लोगों को आ रही समस्याओं से उत्पन्न स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित करेंगे।”

5. विधायी कार्य:

(I) सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

श्री सुखविन्दर सिंह सुखू, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि अटल आयुर्विज्ञान और अटल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 27)

अनुसंधान विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

वे विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

(II) सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 7)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

- (ii) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।
ईटरनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 8)
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।
- (iii) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि ए पी जी (अखल प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम संख्यांक 20) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।
ए पी जी (अखल प्रकाश गोयल) शिमला विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 9)
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।
- (iv) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।
अरनी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 10)
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।
- (v) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।
अभिलाषी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन), संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 11)
वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

- (vi) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 21) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।
 बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग सांईसिज़ एण्ड टैक्नोलॉजी (स्थापना और विनियमन), संशोधन विधेयक, 2024
 (2024 का विधेयक संख्यांक 12)
- वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।
- (vii) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।
 बाहरा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024
 (2024 का विधेयक संख्यांक 13)
- वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।
- (viii) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।
 श्री साई विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024
 (2024 का विधेयक संख्यांक 14)
- वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।
- (ix) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि दि इनस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंश्ल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 43) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।
 दि इनस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेंश्ल एनॅलिस्ट्स ऑफ इन्डिया विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024
 (2024 का विधेयक संख्यांक 15)
- वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(x) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

चिटकारा विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 16)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(xi) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

इण्डस इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 17)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(xii) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

महर्षि मारकण्डेश्वर विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 18)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(xiii) श्री रोहित ठाकुर शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 20) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

शूलिनी बायोटेक्नोलॉजी एवम् मैनेजमेंट साईंसिज विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 19)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(xiv)श्री रोहित ठाकुर,शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि कॅरिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

कॅरिअर पॉइन्ट विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 20)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(xv)श्री रोहित ठाकुर,शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

आई.ई.सी. (इण्डिया एजुकेशन सेन्टर) विश्वविद्यालय स्थापना और विनियमन संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 21)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(xvi)श्री रोहित ठाकुर,शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

मानव भारती विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 22)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(xvii) श्री रोहित ठाकुर, शिक्षा मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 23)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

6. नियम-102 के अन्तर्गत सरकारी संकल्प:

श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि:

"भांग के औषधीय एवं औद्योगिक उपयोग पर बना प्रतिवेदन जो दिनांक 22 सितम्बर, 2023 को सदन में उपस्थापित किया गया था, पर यह सदन विचार करे।"

7. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख:

- (1) श्री राकेश कालिया (42-गगरेट), ऊना के सन्तोषगढ़ के वार्ड-4 के निवासी दो सगे भाईयों की पहलवानों द्वारा मारपीट करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।
- (2) श्री रणवीर सिंह (निक्का) (6-नूरपुर), वन मण्डल, शिमला के अन्तर्गत टूटी-कण्डी (पांजड़ी) में वन भूमि पर लोगों द्वारा किए गए अनाधिकृत कब्जों पर विशेष उल्लेख करेंगे।
- (3) श्री राकेश जम्वाल (27-सुन्दरनगर), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रोहाण्डा में डॉक्टरों के पदों को भरने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।
- (4) श्री सुरेन्द्र शौरी (24-बंजार), बंजार अस्पताल के जनहित में शीघ्र निर्माण करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।
- (5) श्री लोकेन्द्र कुमार (25-आनी), आनी क्षेत्र के अस्पतालों में स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।
- (6) सुश्री अनुराधा राणा (21-लाहौल एवं स्पिति), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिस्सू तथा गेमूर को उन्नयन करने बारे विशेष उल्लेख करेंगी।
- (7) श्री बिक्रम सिंह (11-जसवां-प्रागपुर), मिनी सचिवालय डाडासीबा के भवन में सरकारी कार्यालयों को स्थानांतरित करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।
- (8) श्री सुरेन्द्र शौरी (24-बंजार), निर्माणाधीन पनारसा पुल के शीघ्र निर्माण बारे विशेष उल्लेख करेंगे।
- (9) सुश्री अनुराधा राणा (21-लाहौल एवं स्पिति), कोकसर-छतडूं तथा बातल-टाकजा मार्ग को सीमा सड़क संगठन से निर्मित करने बारे विशेष उल्लेख करेंगी।
- (10) श्री सुरेन्द्र शौरी (24-बंजार), बजौरा स्थित निर्माणाधीन आयुर्वेदिक अस्पताल की सुरक्षा दीवार व तटीयकरण करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

8. नियम-63 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चा:

श्री विपिन सिंह परमार, "चौधरी सरवन कुमार विश्वविद्यालय की भूमि में से 112 हेक्टर भूमि पर्यटन गांव (Tourism Village) के लिए सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) देने पर चर्चा उठावेंगे।"

9. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

(1) श्री जीत राम कटवाल, प्रस्ताव करेंगे कि:

“प्रदेश की ऊर्जा/जल विद्युत नीति पर यह सदन विचार करे।

(2) श्री केवल सिंह पठानिया
श्री चन्द्र शेखर
श्री भवानी सिंह पठानिया } प्रस्ताव करेंगे कि:

“प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर यह सदन विचार करे।”

10. नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा:

(1) श्री सुख राम चौधरी, "दिनांक 28 अगस्त, 2024 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1769 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।"

(2) श्री विपिन सिंह परमार, "दिनांक 28 अगस्त, 2024 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 1733 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करेंगे।"

शिमला-171004

दिनांक: 05 सितम्बर, 2024

(यशपाल शर्मा)

सचिव।

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)